

इसे वेबसाइट [www.govtpress.nic.in](http://www.govtpress.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 नवम्बर 2020—कार्तिक 15, शक 1942

## विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभागों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक—भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.— स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकी सूचनाएं,

भाग 4.— (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरः स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम. (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग 9

राज्य शासन के आदेश

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2020

फा. क्र. 1—5—96—इक्कीस—ब(एक) 2893—2020.— भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा, 1—5—96—इक्कीस—ब(एक)—2288—2017, दिनांक 3 जून, 2017 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग—1 में दिनांक 23 जून, 2017 में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

### संशोधन

उक्त अधिसूचना में सारणी में, अनुक्रमांक 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

### सारणी

अनुक्रमांक (1)	न्यायाधीश का नाम (2)	मुख्यालय (3)	विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार (4)
"2.	श्री जोगिन्दर सिंह, सत्रहवें अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, इन्दौर	इन्दौर	इन्दौर, धार, रतलाम, झाबुआ, मंदसौर, मण्डलेश्वर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, खंडवा, नीमच, बड़वानी, अलीराजपुर एवं बुरहानपुर."

F.N.1-5-96-XXI-B (one)-2893-2020.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) Section 3 of the prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988), the State Government, in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in this department's Notification F.No. 1-5-96-XXI-B (One)-2288-2017, dated 3rd June, 2017 which was published in Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 23rd June, 2017, namely :-

### AMENDMENT

In the said notification, in the Table, for serial number 2 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :-

### TABLE

S. No. (1)	Name of Judge (2)	Head Quarter (3)	Jurisdiction of special Court (4)
2.	Shri Joginder Singh, XVIIth Additional Sessions Judge, Indore	Indore	Indore, Dhar, Ratlam, Jhabua, Mandsaur, Mandleshwar, Ujjain, Dewas, Shajapur, Khandwa, Neemuch, Badwani, Alirazpur and Burhanpur."

भोपाल, दिनांक 24 अक्टूबर 2020

फा. क्र. 17 (ई)-17-2016 इक्कीस-ब (एक) 2808-2020.—कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 (2016 का 4) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा.क्र 17 (ई) 17-2016-इक्कीस-ब (एक)-2311-19, दिनांक 04 मई 2019, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग 1, दिनांक 17 मई 2019 में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

### संशोधन

उक्त अधिसूचना में सारणी में, अनुक्रमांक 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

### सारणी

स.क्र. (1)	जिला (2)	स्थानीय क्षेत्राधिकार (3)
"4.	ग्वालियर	श्री नरेन्द्र कुमार भंडारी, अष्टम् व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, ग्वालियर"

F.No.17(E)17-2016-XXI-B (1) 2808-2020.- In exercise of the powers conferred by Section 3 of Commercial Courts, Act, 2015 (No- 4 of 2016) the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in this department's notification no. 17 (E) 17-2016-XXI-B(1) 2311-19, dated 04<sup>th</sup> may 2019 which was published in the Madhya Pradesh Gazette part 1, dated 17th may 2019, namely :-

### AMENDMENT

In the said notification, in the Table, for serial number 4 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :-

### TABLE

S. No. (1)	District (2)	Local limits of area (3)
"4.	Gwalior	Shri Narendra Kumar Bhandari, VIII Civil Judge -I, Gwalior."

फा. क्र. 17 (ई)-44-2013 इक्कीस-ब (एक) -2813-2020.- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना फा.क्रमांक ब (1) 3476-2013, दिनांक 11 सितम्बर, 2013, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-एक में दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :-

### संशोधन

उक्त अधिसूचना में सारणी में, अनुक्रमांक 24 तथा 25 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

## सारणी

क्रमांक (1)	जिले का नाम (2)	विशेष न्यायाधीश का नाम (3)
"24.	नरसिंहपुर	श्री जसवंत सिंह, द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, नरसिंहपुर
25.	नीमच	श्री विवेक कुमार, प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश, नीमच."

2. यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F.No.17(E)44-2013-XXI-B (One) 2813-2020.— In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 22 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the stste Govern-ment in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amend-ments in this department's Notification F-No. B(1) 3476-2013, dated 11th September, 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 20th September, 2013, Namely :-

## AMENDMENT

In the said notification, in the Table, for serial numbers 24 and 25 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :-

## TABLE

S. No. (1)	Name of District (2)	Name and Designation of the Judge (3)
"24.	Narsinghpur	Shri Jasvant Singh, II Additional Sessions Judge, Narsinghpur
25.	Neemuch	Shri Vivek Kumar, IVth Additional Judge to 1st Additional Sessions Judge, Neemuch."

2. This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

पंजी क्र. 3082-2020 इक्कीस-ब (एक).- राज्य शासन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की स्थापना पर प्रतिनियुक्ति पर विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की हैसियत से उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री कृणमूर्ति मिश्रा, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण), अधिनियम, दतिया की सेवाएं, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा, माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2020

क्र.-गन्ना-एस-3-क्षे.आर.-एन.पं.-2020-21-489.- मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, प्रीति मैथिल नायक, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2020-21 हेतु मे. एन. पंजाब शुगर मिल प्रा.लि., ग्राम- हिनाखेड़ी, तहसील-चाँद, वि.ख.-चौरई, जिला-छिंदवाड़ा (म.प्र.) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु निम्नानुसार जिला/तहसील/ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करती हूँ :-

क्र.	जिला का नाम	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	कारखाने से सड़क दूरी (किमी)	आरक्षित क्षेत्रफल (हे०)			
						रोपा	जड़ी	तिरी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	छिंदवाड़ा	चाँद	चौरई	चाँद	3	7.69	11.13	12.34	31.16
2	छिंदवाड़ा	चाँद	चौरई	भांडपिपरिया	4	5.67	4.65	9.71	20.03
3	छिंदवाड़ा	चाँद	चौरई	विकला	5	8.90	8.70	11.94	29.54
4	छिंदवाड़ा	चाँद	चौरई	रानीखैरी	6	10.93	10.12	15.58	36.62
5	छिंदवाड़ा	चाँद	चौरई	कौआखेडा	7	20.44	18.21	24.28	62.93
6	छिंदवाड़ा	चाँद	चौरई	बेलगाँव	8	6.48	10.12	13.76	30.35
7	छिंदवाड़ा	चाँद	चौरई	मोघर	9	8.90	12.95	13.96	35.82
8	छिंदवाड़ा	चाँद	चौरई	गुमगाँव	9	0.00	3.64	1.62	5.26
9	छिंदवाड़ा	चाँद	चौरई	खापाबिहारी	10	7.89	8.30	10.12	26.31
10	छिंदवाड़ा	चाँद	चौरई	दिलावर मोहगाँव	11	21.04	20.23	19.02	60.30
11	छिंदवाड़ा	चाँद	चौरई	पखडिया	12	0.81	1.21	1.62	3.64
12	छिंदवाड़ा	चाँद	चौरई	सटोटी	17	0.00	1.21	2.02	3.24
13	छिंदवाड़ा	चाँद	चौरई	हिवरा जयसिंह	19	5.87	5.87	7.89	19.63
14	छिंदवाड़ा	चाँद	चौरई	बतरी	12	3.24	2.43	2.83	8.50

क्र.	जिला का नाम	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	कारखाने से सड़क दूरी (किमी)	आरक्षित क्षेत्रफल (हे०)			
						रोपा	जड़ी	तिरी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	चाँदढाना	5	0.20	0.00	0.00	0.20
16	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	घोघरी हरहर	12	0.00	1.21	1.21	2.43
17	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	सिंगोडी	20	16.39	9.71	17.40	43.50
18	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	सिरस	22	11.33	8.90	23.08	43.31
19	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	कुकरई	25	0.40	0.00	1.62	2.02
20	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	धमनिया सिरस	18	11.53	7.69	16.59	35.82
21	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	बम्हनी लाला	15	9.71	2.43	13.35	25.50
22	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	बर्वा	12	27.52	9.51	17.60	54.63
23	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	बर्वा खेडा	13	3.64	0.81	3.64	8.09
24	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	बर्वा मनियाटोला	11	0.61	0.00	0.00	0.61
25	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	बर्वा रामाटोला	13	0.40	0.00	1.01	1.42
26	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	पांजरा	8	20.44	9.31	28.94	58.68
27	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	नोनी खुर्द	13	11.33	5.46	13.96	30.76
28	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	नांदना	9	10.93	3.84	14.37	29.14
29	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	परसोली	10	4.86	1.62	4.86	11.33
30	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	पटिया	13	4.05	0.40	3.44	7.89
31	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	डोंगरी टोला	14	3.64	1.21	6.88	11.74
32	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	सिंगोडी टोला	17	13.76	8.50	21.45	43.71
33	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	जामुन टोला	17	8.09	4.86	7.28	20.23
34	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	बाडीबाडा	5	19.43	4.65	35.21	59.29
35	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	कुम्पानी	34	1.42	0.00	1.01	2.43
36	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	नोनी कला	15	26.51	12.55	30.96	70.01
37	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	ढुटमर	21	4.05	0.40	7.49	11.94
38	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	राजलबाडी	10	5.26	2.23	5.26	12.75
39	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	झिरिया	13	0.00	4.05	3.24	7.28

क्र.	जिला का नाम	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	कारखाने से सड़क दूरी (किमी)	आरक्षित क्षेत्रफल (हे०)			
						रोपा	जड़ी	तिरी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	केरिया	13	5.06	5.46	7.08	17.60
41	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	खुटपिपरिया	13	1.21	4.05	5.26	10.52
42	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	तांडे	21	1.21	0.00	0.40	1.62
43	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	आमाझिरी	20	0.00	1.82	0.00	1.82
44	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	हरनाखेडी	4	12.55	27.52	32.17	72.24
45	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	चिखली खुर्द	2	1.82	5.26	7.08	14.16
46	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	टिघरा	5	11.53	12.95	14.16	38.65
47	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	सालईछिन्दी	18	9.51	3.64	10.93	24.08
48	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	गोहरगाँव	6	2.02	1.42	6.27	9.71
49	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	परसगाँव	14	0.00	0.00	1.21	1.21
50	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	मुडिया खेडा	8	10.32	4.65	18.82	33.79
51	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	बम्हनीतुरा	11	2.83	2.63	4.45	9.92
52	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	कोडरखापा	13	2.83	3.84	7.08	13.76
53	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	नीलकण्ठी कला	15	0.40	0.00	1.21	1.62
54	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	नोलाझिर	12	6.27	5.46	10.93	22.66
55	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	ढीमरमेटा	6	4.65	1.01	5.67	11.33
56	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	माताखेरी	14	13.76	4.25	11.74	29.75
57	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	पंचगाँव	15	18.21	23.47	19.83	61.51
58	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	आमगाँव	20	2.23	1.62	3.64	7.49
59	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	खाती पिपरिया	16	6.27	1.82	4.45	12.55
60	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	टाप	15	16.39	8.50	10.12	35.01
61	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	पोनिया	16	1.42	2.23	2.83	6.48
62	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	खैरघाट	14	4.45	1.82	6.68	12.95
63	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	बासखेडा	21	6.07	4.86	7.69	18.62
64	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	मेघदोन	18	4.45	1.82	2.23	8.50
65	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	पतलोन	20	0.61	1.21	1.21	3.04
66	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	रमपुरी	18	25.70	23.07	52.61	101.38

क्र.	जिला का नाम	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	कारखाने से सड़क दूरी (किमी)	आरक्षित क्षेत्रफल (हे०)			
						रोपा	जड़ी	तिरी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	तीतरी	14	3.04	3.24	3.04	9.31
68	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	चंदनगाँव	12	34.20	37.23	37.84	109.27
69	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	बादगाँव	13	11.94	19.63	11.33	42.90
70	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	लालगाँव	12	2.63	4.25	6.27	13.15
71	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	जमुनिया	21	1.21	1.21	1.62	4.05
72	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	दावाझिर	19	1.42	2.43	1.62	5.46
73	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	साजपानी	32	14.37	5.46	15.99	35.82
74	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	हलाल	38	5.26	2.83	5.67	13.76
75	छिंदवाडा	चाँद	चौरई	मंदरिया	25	7.69	2.02	5.87	15.58
तहसीलवार योग :-						576.89	450.83	771.56	1799.28
76	छिंदवाडा	चौरई	चौरई	चौरई	19	3.24	1.82	0.61	5.67
77	छिंदवाडा	चौरई	चौरई	मोहगाँव कला	13	3.04	0.81	3.24	7.08
78	छिंदवाडा	चौरई	चौरई	पालादौन	19	5.06	2.02	8.09	15.18
79	छिंदवाडा	चौरई	चौरई	मुआरी	21	0.00	1.62	0.40	2.02
80	छिंदवाडा	चौरई	चौरई	तेन्दनी	19	4.45	1.62	6.88	12.95
81	छिंदवाडा	चौरई	चौरई	कामठी	22	0.00	1.01	1.01	2.02
82	छिंदवाडा	चौरई	चौरई	कुन्डा	26	1.01	0.00	1.01	2.02
83	छिंदवाडा	चौरई	चौरई	थावरी कुन्डा	29	4.45	2.63	2.02	9.11
84	छिंदवाडा	चौरई	चौरई	लोहारा	33	0.00	0.81	0.00	0.81
85	छिंदवाडा	चौरई	चौरई	हिवरा	34	0.00	0.40	0.00	0.40
86	छिंदवाडा	चौरई	चौरई	काराबोह	25	0.00	0.61	0.00	0.61
87	छिंदवाडा	चौरई	चौरई	आमाबोह	36	1.62	0.81	0.00	2.43
88	छिंदवाडा	चौरई	चौरई	झिलमिली	17	1.21	1.42	0.61	3.24
89	छिंदवाडा	चौरई	चौरई	बांकानागनपुर	12	4.05	2.83	10.93	17.81
90	छिंदवाडा	चौरई	चौरई	पाल्हरी	27	0.40	1.21	1.62	3.24
91	छिंदवाडा	चौरई	चौरई	चोरगाँव	28	0.00	0.61	0.61	1.21
92	छिंदवाडा	चौरई	चौरई	आमटा	26	0.00	0.40	0.00	0.40



क्र.	जिला का नाम	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	कारखाने से सड़क दूरी (किमी)	आरक्षित क्षेत्रफल (हे०)			
						रोपा	जड़ी	तिरी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93	छिंदवाडा	चौरई	चौरई	ओरिया	40	1.42	1.21	0.81	3.44
94	छिंदवाडा	चौरई	चौरई	सीताझिर	37	0.61	0.00	2.02	2.63
95	छिंदवाडा	चौरई	चौरई	फुटेरा	33	8.30	5.87	6.88	21.04
96	छिंदवाडा	चौरई	चौरई	समसबाड़ा	30	0.00	0.40	0.40	0.81
97	छिंदवाडा	चौरई	चौरई	श्यामटोला	42	2.83	0.40	2.63	5.87
98	छिंदवाडा	चौरई	चौरई	ग्रेहटिया	33	10.12	2.43	17.00	29.54
99	छिंदवाडा	चौरई	चौरई	खैराझी	34	0.81	0.40	4.86	6.07
100	छिंदवाडा	चौरई	चौरई	सीदप	32	0.81	0.40	2.02	3.24
101	छिंदवाडा	चौरई	चौरई	छापर	35	4.05	2.83	10.93	17.81
102	छिंदवाडा	चौरई	चौरई	फुटेरा मोहगांव	31	9.31	0.81	6.88	17.00
103	छिंदवाडा	चौरई	चौरई	खैरी टोला	30	1.21	0.81	2.83	4.86
104	छिंदवाडा	चौरई	चौरई	खैरी खुर्द	26	0.40	0.00	0.40	0.81
105	छिंदवाडा	चौरई	चौरई	डुंगरिया	24	0.40	0.61	1.21	2.23
106	छिंदवाडा	चौरई	चौरई	करलई	28	2.63	3.24	16.59	22.46
107	छिंदवाडा	चौरई	चौरई	कोना पिंडरई	42	2.83	2.02	5.26	10.12
108	छिंदवाडा	चौरई	चौरई	हरदुआ	34	1.21	0.81	4.05	6.07
109	छिंदवाडा	चौरई	चौरई	हलाल खुर्द	37	8.70	3.24	11.33	23.27
110	छिंदवाडा	चौरई	चौरई	मरझोर	44	0.00	0.81	0.81	1.62
111	छिंदवाडा	चौरई	चौरई	सकर्दा	51	0.00	0.00	0.40	0.40
112	छिंदवाडा	चौरई	चौरई	घोडावाडी	37	6.88	1.21	2.83	10.93
तहसीलवार योग :-						91.06	48.16	137.19	276.41
113	छिंदवाडा	छिंदवाडा	छिंदवाडा	खुटिया	12	0.20	0.40	1.21	1.82
114	छिंदवाडा	छिंदवाडा	छिंदवाडा	पिंडरई कला	15	2.43	4.45	1.21	8.09
115	छिंदवाडा	छिंदवाडा	छिंदवाडा	शहपुरा	6	10.72	22.66	15.99	49.37
116	छिंदवाडा	छिंदवाडा	छिंदवाडा	खमरा	6	20.44	30.76	29.34	80.53
117	छिंदवाडा	छिंदवाडा	छिंदवाडा	धमनिया खमरा	8	2.43	0.00	4.05	6.48

क्र.	जिला का नाम	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	कारखाने से सड़क दूरी (किमी)	आरक्षित क्षेत्रफल (हे०)			
						रोपा	जड़ी	तिरी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
118	छिंदवाडा	छिंदवाडा	छिंदवाडा	सोनापिपरी	12	12.95	9.92	14.97	37.84
119	छिंदवाडा	छिंदवाडा	छिंदवाडा	सलैया	9	10.32	12.95	13.96	37.23
120	छिंदवाडा	छिंदवाडा	छिंदवाडा	सुसरई	13	3.44	0.00	3.64	7.08
121	छिंदवाडा	छिंदवाडा	छिंदवाडा	कोटलबर्नी	18	0.00	0.40	0.81	1.21
122	छिंदवाडा	छिंदवाडा	छिंदवाडा	खेड़ा	13	1.42	3.24	0.00	4.65
123	छिंदवाडा	छिंदवाडा	छिंदवाडा	पुलपुलडोह	14	0.40	0.40	0.81	1.62
124	छिंदवाडा	छिंदवाडा	छिंदवाडा	थावरी (भाजीपानी)	8	0.40	2.43	5.06	7.89
125	छिंदवाडा	छिंदवाडा	छिंदवाडा	कुहिया	12	20.03	14.57	28.73	63.33
126	छिंदवाडा	छिंदवाडा	छिंदवाडा	मुनारी मोहगाँव	13	26.31	8.09	24.48	58.88
127	छिंदवाडा	छिंदवाडा	छिंदवाडा	जैतपुर	22	0.00	0.00	0.40	0.40
128	छिंदवाडा	छिंदवाडा	छिंदवाडा	घोगरा	29	0.00	0.00	0.40	0.40
129	छिंदवाडा	छिंदवाडा	छिंदवाडा	भाजीपानी	19	0.00	0.61	2.63	3.24
130	छिंदवाडा	छिंदवाडा	छिंदवाडा	खापाकला भाजीपानी	20	0.40	0.00	0.81	1.21
131	छिंदवाडा	छिंदवाडा	छिंदवाडा	धगडिया	11	2.02	0.40	4.05	6.48
132	छिंदवाडा	छिंदवाडा	छिंदवाडा	थुनिया	55	0.00	0.61	0.00	0.61
133	छिंदवाडा	छिंदवाडा	छिंदवाडा	राजना	24	1.42	1.21	0.20	2.83
तहसीलवार योग :-						115.34	113.11	152.77	381.22
134	छिंदवाडा	बिछुआ	बिछुआ	किशनपुर	15	2.83	3.04	3.84	9.71
135	छिंदवाडा	बिछुआ	बिछुआ	ग्वारी	21	0.40	0.61	0.61	1.62
136	छिंदवाडा	बिछुआ	बिछुआ	पिपरिया कला	18	1.62	1.21	1.01	3.84
137	छिंदवाडा	बिछुआ	बिछुआ	मालीखैरी	22	2.02	1.62	2.43	6.07
138	छिंदवाडा	बिछुआ	बिछुआ	बंधान	29	9.31	7.89	9.11	26.31
139	छिंदवाडा	बिछुआ	बिछुआ	शेरपापड़ा	20	1.62	0.40	1.62	3.64
140	छिंदवाडा	बिछुआ	बिछुआ	मोया	24	0.40	0.81	0.40	1.62
141	छिंदवाडा	बिछुआ	बिछुआ	जमनिया	15	0.40	1.62	2.02	4.05
142	छिंदवाडा	बिछुआ	बिछुआ	डोकली	26	0.00	0.81	0.81	1.62

क्र.	जिला का नाम	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	कारखाने से सड़क दूरी (किमी)	आरक्षित क्षेत्रफल (हे०)			
						रोपा	जड़ी	तिरी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
143	छिंदवाडा	बिछुआ	बिछुआ	मोया मोहगांव	24	0.40	0.40	0.40	1.21
144	छिंदवाडा	बिछुआ	बिछुआ	उलावाडी	21	0.00	0.00	0.40	0.40
145	छिंदवाडा	बिछुआ	बिछुआ	थोटा	21	1.21	1.62	1.01	3.84
146	छिंदवाडा	बिछुआ	बिछुआ	गुमतरा	31	1.62	2.23	3.04	6.88
147	छिंदवाडा	बिछुआ	बिछुआ	पाथरी	29	1.01	0.61	1.21	2.83
<b>तहसीलवार योग :-</b>						<b>22.87</b>	<b>22.87</b>	<b>27.92</b>	<b>73.65</b>
148	छिंदवाडा	मोहखेड़	मोहखेड़	केकड़ा	26	0.00	0.00	1.21	1.21
149	छिंदवाडा	मोहखेड़	मोहखेड़	नवलगाँव	28	2.43	2.43	4.25	9.11
150	छिंदवाडा	मोहखेड़	मोहखेड़	बीसापुर	30	0.00	0.81	0.00	0.81
151	छिंदवाडा	मोहखेड़	मोहखेड़	बामला	27	4.45	2.63	2.02	9.11
<b>तहसीलवार योग :-</b>						<b>6.88</b>	<b>5.87</b>	<b>7.49</b>	<b>20.23</b>
<b>महायोग :-</b>						<b>813.03</b>	<b>640.83</b>	<b>1096.93</b>	<b>2550.80</b>

यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।

प्रीति मैथिल नायक, गन्ना आयुक्त.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 26 अगस्त 2020

पत्र क्र. 249-भू-अर्जन-2020.- उप मुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर द्वारा सतना-रीवा रेलवे लाईन (50 किमी) का दोहरीकरण हेतु निम्नलिखित ग्रामों के भू-अर्जन प्रस्ताव किये गये थे :-

ग्राम का नाम (1)	तहसील का नाम (2)	अर्जित रकबा (3)
बगहाई	रामपुर बाघेलान	2.164 हे.
हिनौता पैपखार	रामपुर बाघेलान	0.618 हे.
बठिया	रामपुर बाघेलान	0.353 हे.
मनकहरी	रामपुर बाघेलान	0.147 हे.
सतरी कोठार	रामपुर बाघेलान	0.444 हे.
बम्हौरी	रामपुर बाघेलान	0.581 हे.

उपरोक्त ग्रामों के भू-अर्जन प्रस्तावों में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 का प्रकाशन 09 अगस्त 19 को किया गया था इस प्रकार 09 अगस्त 2020 को 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है इस अवधि के भीतर अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी रामपुर बाघेलान द्वारा अवधि विस्तारित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के प्रावधान अनुसार समुचित सरकार को ऐसी परिस्थितियों में 12 माह की अवधि बढ़ाने की शक्ति प्रदत्त की गई है. अस्तु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 25 के प्रावधानों के अन्तर्गत उपरोक्त ग्रामों के अधिनिर्णय पारित किये जाने हेतु 01 माह की अवधि विस्तारित की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अजय कटेशरिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 3 अक्टूबर 2020

क्र. 149-भू-अर्जन-2020.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1) के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना

है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची (1) के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है :-

### अनुसूची (1)

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में)	धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	भीकनगांव	पछाया, प.ह.नं.12	4.245	कार्यापालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन	“सतसोई तालाब योजना के नहर कार्य निर्माण हेतु”

### अनुसूची (2)

“सतसोई तालाब योजना के नहर कार्य निर्माण हेतु” ग्राम-पछाया, प.ह.नं.12 की प्रभावित निजी भूमि का विवरण.

सर्वो नंबर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में)
(1)	(2)
2/2/2, 2/4/1, 2/7, 2/8, 2/15, 9/1/1/1, 9/1/1/2, 9/1/7, 9/1/2, 10/2/2, 11/1/2, 11/2, 14/1, 14/2, 16/4, 16/5, 16/6, 19/1, 19/2, 19/3, 20/1/1, 20/1/2, 20/2/1, 20/2/2, 20/3, 23/2, 24/1, 24/2, 64/1, 161/3/2, 162.	4.245

नोट :- भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, रा. एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 150-भू-अर्जन-2020.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1) के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने 6 में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची (1) के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है :-

## अनुसूची (1)

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में)	धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	भीकनगांव	दौड़वा, प.ह.नं.13	3.630	कार्यापालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन	“सतसोई तालाब योजना के नहर कार्य निर्माण हेतु”

## अनुसूची (2)

“सतसोई तालाब योजना के नहर कार्य निर्माण हेतु” ग्राम-दौड़वा, प.ह.नं.13 की प्रभावित निजी भूमि का विवरण.

सर्वे नंबर (1)	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में.) (2)
8/4, 9, 11/2/1, 11/3/3, 13, 27/2, 27/4, 27/5, 30/2, 31/1, 31/2, 34/1/2, 34/1/9, 34/1/12, 34/1/13, 49/850, 52/831, 54/2, 56/1/1, 66/1/1.	3.630

नोट :- भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, रा. एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 151-भू-अर्जन-2020.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1) के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने 6 में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची (1) के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है :-

## अनुसूची (1)

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में)	धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	भीकनगांव	बोरगांव, प.ह.नं.12	3.673	कार्यापालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन	“सतसोई तालाब योजना के नहर कार्य निर्माण हेतु”

## अनुसूची (2)

“सतसोई तालाब योजना के नहर कार्य निर्माण हेतु” ग्राम-बोरगांव, प.ह.नं.12 की प्रभावित निजी भूमि का विवरण.

सर्वे नंबर (1)	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में) (2)
271/3/2, 271/4/1, 271/5, 271/6, 279/1, 279/2/1, 279/2/2, 281/2/1/1, 281/2/2/2, 281/3, 288/1, 288/2, 288/3/1, 288/3/2, 288/4, 288/5, 289/1/2, 290/1, 290/2, 291/3/2.	3.673

नोट :- भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, रा. एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनुग्रहा पी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 13 अक्टूबर 2020

प्र. क्र. 02-अ-82-2017-18-1491.- चूंकि, शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में दर्शित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः अनुसूची के पद (2) में अंकित भू-धारक की भूमि की हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ों नहर परियोजना निर्माण के लिये राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में “आपसी सहमति से क्रय नीति-12 नवम्बर 2014” के तहत क्रय करने का विचार किया जा रहा है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, राजस्व, विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्र. एफ 12-2/2014/सात /2 ए भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1) एवं (2) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह 15 दिवसों के भीतर आधार स्पष्ट करते हुए आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ 12-2/2014/सात/2 ए भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1) एवं (2) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

## अनुसूची

- (1) परियोजना का नाम :- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ो परियोजना  
 (2) भूमि का विवरण :- ग्राम - खेराजागीर, तहसील-मोहनगढ़, जिला-टीकमगढ़

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा (हे.में)	अर्जित रकबा (हे.में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	रमसू चैनू तनय पम्मे, नि. खेराजागीर, जाति ढीमर, तहसील-मोहनगढ़, जिला- टीकमगढ़ (म.प्र.)	1013	0.890	0.216
		1014	0.417	0.158
	योग -		1.307	0.374

(3) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है :- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ों परियोजना के निर्माण हेतु.

(4) भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुभाग जतारा, जिला-टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 01-अ-82-2017-18-1489.- चूंकि, शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में दर्शित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः अनुसूची के पद (2) में अंकित भू धारक की भूमि की हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ों नहर परियोजना निर्माण के लिये राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में "आपसी सहमति से क्रय नीति-12 नवम्बर 2014" के तहत क्रय करने का विचार किया जा रहा है.

अतः मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्र. एफ 12-2/2014/सात/2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1) एवं (2) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह 15 दिवसों के भीतर आधार स्पष्ट करते हुए आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ 12-2/2014/सात/2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1) एवं (2) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

## अनुसूची

- (1) परियोजना का नाम :- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ो परियोजना  
 (2) भूमि का विवरण :- ग्राम - पड़वार, तहसील-मोहनगढ़, जिला-टीकमगढ़



स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा (हे.में)	अर्जित रकबा (हे.में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	वसंता तनय खेमराज-1/5 हि. भगुन्ती पत्नि रामसहाय-3/10 हि.रामकुंवर पत्नि नंदराम-1/20 हि. लच्छीवाई पत्नि सुखनंदन-1/20 हि. शिम्बू भैयालाल तनय हल्के-1/15 हि. भिज्जू तनय हल्के-1/15 हि., हल्की पुत्री हल्के, भगुन्ती पत्नि रामसहाय-1 /15 हि. नंदराम, सुखनंदन, ठाकुरदास, हीरालाल, सुरेन्द्र कुमार तनय वसंते -1 /5 हि. भूमि स्वामी, जाति कुम्हार, नि. पड़वार, तहसील-मोहनगढ़, जिला- टीकमगढ़ (म.प्र.)	823/1	0.938	0.121
योग -			0.938	0.121

(3) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है :- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ों परियोजना के निर्माण हेतु.

(4) भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुभाग जतारा, जिला-टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 03-अ-82-2017-18-1487.- चूंकि, शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में दर्शित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः अनुसूची के पद (2) में अंकित भू-धारक की भूमि की हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ों नहर परियोजना निर्माण के लिये राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में "आपसी सहमति से क्रय नीति-12 नवम्बर 2014" के तहत क्रय करने का विचार किया जा रहा है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, राजस्व, विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्र. एफ 12-2/2014/सात /2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1) एवं (2) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह 15 दिवसों के भीतर आधार स्पष्ट करते हुए आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ 12-2/2014/सात/2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11 (1) एवं (2) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

## अनुसूची

- (1) परियोजना का नाम :- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ो परियोजना  
 (2) भूमि का विवरण :- ग्राम - केशरमढ़, तहसील-मोहनगढ़, जिला-टीकमगढ़

स.क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा (हे.में)	अर्जित रकबा (हे.में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	डल्ली, जल्लू तनय मलखान एवं मक्खन वाई पुत्री मलखान, जाति अहिरवार नि. गोर, तहसील- मोहनगढ़, जिला-टीकमगढ़ (म.प्र.)	82/1	0.294	0.090
योग -		1 किता	0.294	0.090

(3) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है :- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ों परियोजना के निर्माण हेतु.

(4) भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुभाग जतारा, जिला-टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**सुभाष कुमार द्विवेदी**, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, जिला रीवा,  
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पत्र क्र.-425-प्रका.-भू-अर्जन-2020-21.-

रीवा, दिनांक 23 अक्टूबर 2020

चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)से(5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसकें नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत कराई गई थी, वैश्विक महामारी कोविड-19 प्रभाव के कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा-25 के तहत दिनांक 20.09.2020 से 20.09.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूँ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन			लगभग क्षेत्रफल		धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा है.		
1	2	3	4	5	6	7
सतना	विरसिंहपुर	लखहा	1	0.012	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक 3 देवलोद जिला शहडोल (MOPRO)	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मझगवाँ शाखा नहर निर्माण हेतु।
			38/395	0.038		
			39	0.048		
			44	0.007		
			45/392	0.110		
			45	0.108		
			47	0.048		
			54	0.017		
			55	0.086		
			57	0.031		
			कुल योग	0.505 हेक्टर		

2: भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र.क्र.-427-प्रका.-भू-अर्जन-2020-21.-

चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)से(5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत कराई गई थी, वैश्विक महामारी कोविड-19 प्रभाव के कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा-25 के तहत दिनांक 20.09.2020 से 20.09.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूँ।

## अनुसूची

भूमि का वर्णन			लगभग क्षेत्रफल		धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
ज़िला	तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा हे.		
1	2	3	4	5	6	7
सतना	विरसिंहपुर	मरवा	233	0.046	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक 3 देवलौद जिला शहडोल (म0प्र0)	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मझगवाँ शारखा नहर निर्माण हेतु ।
			235	0.010		
			236	0.059		
			267	0.051		
			282	0.019		
			283	0.099		
			284	0.056		
			285	0.032		
			286	0.045		
			287	0.054		
			296	0.003		
			299	0.080		
			301	0.062		
			306	0.060		
			307	0.008		
			310	0.017		
			311	0.043		
			312	0.008		
			313	0.041		
			318	0.010		
			कुल योग	0.803 हेक्टर		

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र.क्र.-429-प्रका.-भू-अर्जन-2020-21.-

चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)से(5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत कराई गई थी, वैश्विक महामारी कोविड-19 प्रभाव के कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा-25 के तहत दिनांक 30.08.2020 से 30.08.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूँ।

### अनुसूची

भूमि का वर्णन			लगभग क्षेत्रफल		धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा हे.		
1	2	3	4	5	6	7
सतना	विरसिंहपुर	सुजावल कला	23	0.136	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक 3 देवलौद जिला शहडोल (म0प्र0)	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मझगवाँ शाखा नहर निर्माण हेतु ।
			30	0.044		
			33	0.077		
			45	0.011		
			51	0.020		
			96	0.100		
			161	0.086		
			180	0.062		
			181	0.088		
			182	0.037		
			183	0.017		
			192	0.010		
			194	0.158		
			196	0.058		
			197	0.108		
			201	0.002		
			202	0.204		
			208	0.054		
			209	0.046		
			214	0.106		
			215	0.072		
			216	0.103		
			226	0.020		
			228	0.110		
			229	0.221		
			278	0.007		

			281	0.018		
			282	0.104		
			283	0.063		
			284	0.024		
			कुल योग	2.170 हेक्टर		

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र.क्र.-431-प्रका.-भू-अर्जन-2020-21.-

चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)से(5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत कराई गई थी, वैश्विक महामारी कोविड-19 प्रभाव के कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा-25 के तहत दिनांक 12.07.2020 से 12.07.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूँ।

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन			लगभग क्षेत्रफल		धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा हे.		
1	2	3	4	5	6	7
सतना	बिरसिंहपुर	हलिया कला	155	0.036	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक 3 देवलौद जिला शहडोल (MOPRO)	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मझगवाँ शाखा नहर निर्माण हेतु।
			156	0.110		
			162	0.026		
			163	0.250		
			199	0.305		
			210	0.008		
			213	0.012		
			214	0.146		
			216	0.108		
			238	0.030		
			239	0.046		
			269	0.184		
			306	0.088		
			307	0.208		
			308	0.012		
			309	0.052		
			310	0.016		
			311	0.160		
			332	0.012		
			334	0.002		
			339	0.024		
			340	0.184		
			411	0.002		
			412	0.208		
			413	0.180		
			415	0.060		
			416	0.003		

		421	0.072		
		422	0.004		
		423	0.073		
		453	0.008		
		454	0.146		
		463	0.307		
		464	0.010		
		503	0.013		
		504	0.141		
		कुल योग	3.246 हेक्टर		

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र.क्र.-433-प्रका.-भू-अर्जन-2020-21.-

चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)से(6) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत कराई गई थी, वैश्विक महामारी कोविड-19 प्रभाव के कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा-25 के तहत दिनांक 30.08.2020 से 30.08.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूँ।

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन			लगभग क्षेत्रफल		धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा हे.		
1	2	3	4	5	6	7
सतना	बिरसिंहपुर	पडुहार	218	0.034	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक 3 देवलौद जिला शहडोल (म0प्र0)	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मझगवों शाखा नहर निर्माण हेतु।
			230	0.002		
			231	0.067		
			234	0.187		
			235	0.013		
			236	0.019		
			237	0.036		
			250	0.062		
			251	0.081		
			429	0.032		
			430	0.020		
			431	0.070		
			432	0.101		
			433	0.048		
			434	0.018		
			435	0.017		
			603	0.071		
			604	0.026		
			605	0.011		
			606	0.002		
			610	0.090		
			625	0.030		
			626	0.073		
			627	0.073		
			628	0.109		
			664	0.096		
			665	0.065		
			675	0.024		
			676	0.144		
			677	0.011		
			678	0.011		
			679	0.146		

		780	0.002
		783	0.002
		786	0.122
		787	0.032
		788	0.028
		834	0.028
		835	0.017
		840	0.115
		841	0.019
		842	0.028
		843	0.039
		844	0.011
		846	0.046
		857	0.017
		867	0.014
		872	0.004
		875	0.024
		876	0.005
		877	0.048
		888	0.114
		890	0.035
		895	0.002
		896	0.028
		897	0.012
		898	0.025
		901	0.022
		907	0.019
		908	0.004
		909	0.022
		917	0.043
		918	0.038
		919	0.016
		920	0.080
		921	0.029
		990	0.013
		991	0.005
		992	0.014
		993	0.004
		994	0.029
		995	0.102
		996	0.019
		997	0.004
		998	0.056
		1011	0.031
		1012	0.021
		1013	0.019
		1014	0.026
		1017	0.047
		1018	0.006
		1019	0.062
		1022	0.004
		1023	0.013
		1024	0.010



		1025	0.019	
		कुल योग	3.403 हेक्टर	

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र.क्र.-435-प्रका.-भू-अर्जन-2020-21.-

चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)से(5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत कराई गई थी, वैश्विक महामारी कोविड-19 प्रभाव के कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा-25 के तहत दिनांक 19.07.2020 से 19.07.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूँ।

### अनुसूची

भूमि का वर्णन			लगभग क्षेत्रफल		धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा हे.		
1	2	3	4	5	6	7
सतना	कोटर	कोटर	40	0.050	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक 3 देवलोद जिला शहडोल (MOPRO)	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मझगवाँ शाखा नहर निर्माण हेतु।
			41	0.067		
			45	0.163		
			49	0.379		
			3285	0.134		
			3287	0.036		
			3297	0.163		
			कुल योग	0.992 हेक्टर		

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र.क्र.-437-प्रका.-भू-अर्जन-2020-21.-

चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)से(5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत कराई गई थी, वैश्विक महामारी कोविड-19 प्रभाव के कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा-25 के तहत दिनांक 19.07.2020 से 19.07.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूँ।

## अनुसूची

भूमि का वर्णन			लगभग क्षेत्रफल		धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा हे.		
1	2	3	4	5	6	7
सतना	कोटर	फरहद	78	0.011	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक 3 देवलौद जिला शहडोल (म0प्र0)	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मझगवाँ शाखा नहर निर्माण हेतु ।
			82	0.034		
			83	0.019		
			84	0.019		
			86	0.022		
			87	0.053		
			89	0.039		
			91	0.031		
			92	0.024		
			93	0.029		
			98	0.091		
			108	0.038		
			110	0.048		
			111	0.082		
			114	0.054		
			116	0.067		
			117	0.024		
			119	0.101		
			120	0.072		
			121	0.159		
			122	0.134		
			155	0.096		
			95/373	0.086		
			128	0.027		
			209	0.031		
			210	0.086		
			211	0.116		
			212/2	0.126		
			278/1	0.005		
			278/2	0.005		

			279	0.010		
6			282/1/2	0.012		
			282/2	0.073		
			283	0.056		
			321/1	0.061		
			321/2	0.002		
			334	0.050		
			340	0.010		
			341	0.027		
			344	0.095		
			कुल योग	2.125 हेक्टर		

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र.क्र.-439-प्रका.-भू-अर्जन-2020-21.-

चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)से(5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत कराई गई थी, वैश्विक महामारी कोविड-19 प्रभाव के कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा-25 के तहत दिनांक 30.08.2020 से 30.08.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूँ।

### अनुसूची

भूमि का वर्णन			लगभग क्षेत्रफल		धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
ज़िला	तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा हे.		
1	2	3	4	5	6	7
सतना	कोटर	फरहद	212/1/2	0.126	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग कर्मांक 3 देवलोद जिला शहडोल (MOPRO)	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मझगर्वी शाखा नहर निर्माण हेतु।
			कुल योग	0.126 हेक्टर		

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र.क्र.-441-प्रका.-भू-अर्जन-2020-21.-

चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)से(5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत कराई गई थी, वैश्विक महामारी कोविड-19 प्रभाव के कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा-25 के तहत दिनांक 19.07.2020 से 19.07.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूँ।

## अनुसूची

भूमि का वर्णन			लगभग क्षेत्रफल		धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा हे.		
1	2	3	4	5	6	7
सतना	कोटर	सेमरी	3/1	0.032	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक 3 देवलौद जिला शहडोल (म०प्र०)	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मझगवाँ शाखा नहर निर्माण हेतु ।
			4	0.108		
			5	0.319		
			10	0.242		
			12	0.012		
			13	0.078		
			16	0.053		
			17	0.038		
			26	0.120		
			27	0.014		
			37	0.126		
			40	0.010		
			47	0.008		
			48	0.154		
			60	0.173		
			61	0.006		
			62	0.137		
			63	0.055		
			65	0.014		
			71	0.168		
			72	0.044		
			76	0.041		
			77	0.048		
			318	0.041		
			319	0.019		
			320	0.019		
			326	0.040		
			327	0.040		
			332	0.016		
			324	0.028		

			346	0.040		
			351	0.132		
			352	0.014		
			353	0.053		
			354	0.134		
			380	0.120		
			381	0.045		
			382	0.108		
			383	0.144		
			384	0.019		
			385	0.029		
			389	0.149		
			390	0.321		
			कुल योग	3.511 हेक्टर		

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र.क्र.-443-प्रका.-भू-अर्जन-2020-21.-

चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)से(5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत कराई गई थी, वैश्विक महामारी कोविड-19 प्रभाव के कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा-25 के तहत दिनांक 30.08.2020 से 30.08.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूँ।

### अनुसूची

भूमि का वर्णन			लगभग क्षेत्रफल		धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा हे.		
1	2	3	4	5	6	7
सतना	कोटर	घोरकाट	2	0.488	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक 3 देवलौद जिला शहडोल (MOPRO)	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मझगवाँ शाखा नहर निर्माण हेतु।
			4	0.010		
			5	0.134		
			6	0.104		
			7	0.016		
			8	0.018		
			67	0.040		
			99	0.100		
			103	0.002		
			105	0.001		
			106	0.050		
			107	0.050		
			108	0.152		
			112	0.077		
			114	0.018		
			115/1	0.140		
			116	0.191		

		117	0.156
		118	0.145
		131	0.268
		133	0.188
		135	0.186
		136	0.180
		203	0.084
		207	0.120
		242	0.074
		243	0.216
		249	0.450
		250	0.190
		253	0.672
		268	0.232
		269	0.012
		277	0.096
		278	0.372
		279	0.088
		282	0.088
		284	0.122
		285	0.032
		120	0.012
		121	0.058
		125	0.017
		128	0.252
		155	0.014
		156	0.106
		158	0.062
		160	0.012
		कुल योग	6.095 हेक्टर

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र.क्र.-445-प्रका.-भू-अर्जन-2020-21.-

चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)से(5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत कराई गई थी, वैश्विक महामारी कोविड-19 प्रभाव के कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा-25 के तहत दिनांक 06.09.2020 से 06.09.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूँ।

## अनुसूची

भूमि का वर्णन			लगभग क्षेत्रफल		धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा हे.		
1	2	3	4	5	6	7
सतना	कोटर	भटगवाँ	331	0.264	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक 3 देवलौद जिला शहडोल (म०प्र०)	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मझगवाँ शाखा नहर निर्माण हेतु ।
			333	0.248		
			337	0.200		
			346	0.088		
			348	0.125		
			360	0.160		
			361	0.219		
			365	0.126		
			366	0.216		
			367	0.740		
			368	0.016		
			370	0.120		
			कुल योग	2.522 हेक्टर		

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र.क्र.-447-प्रका.-भू-अर्जन-2020-21.-

चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)से(5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत कराई गई थी, वैश्विक महामारी कोविड-19 प्रभाव के कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा-25 के तहत दिनांक 30.08.2020 से 30.08.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूँ।

## अनुसूची

भूमि का वर्णन			लगभग क्षेत्रफल		धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा हे.		
1	2	3	4	5	6	7
सतना	कोटर	बूड़ा	1	0.010	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक 3 देवलौद जिला शहडोल (म०प्र०)	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मझगवाँ शाखा नहर निर्माण हेतु ।
			2	0.060		
			3	0.067		
			4	0.228		
			11	0.022		
			12	0.110		
			49	0.067		
			50	0.104		
			51	0.048		
			52	0.055		
			53	0.062		
			54	0.092		
			55	0.031		

		59	0.048
		61/1	0.100
		61/2	0.074
		61/3	0.058
		61/4	0.115
		62	0.120
		63	0.007
		70/1	0.010
		70/2	0.034
		72/1	0.128
		82	0.090
		88	0.082
		89	0.033
		92	0.232
		93	0.090
		143	0.004
		144	0.013
		145	0.007
		160	0.104
		161	0.200
		162	0.016
		191	0.403
		203	0.040
		204	0.435
		205	0.123
		206	0.215
		207	0.012
		208	0.058
		8/1	0.085
		कुल योग	3.909 हेक्टर

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र.क्र.-449-प्रका.-भू-अर्जन-2020-21.-

चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)से(6) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत कराई गई थी, वैश्विक महामारी कोविड-19 प्रभाव के कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा-25 के तहत दिनांक 06.09.2020 से 06.09.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबन्ध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूँ।



## अनुसूची

भूमि का वर्णन			लगभग क्षेत्रफल		धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा.हे.		
1	2	3	4	5	6	7
सतना	कोटर	बछौरा	265	0.011	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक 3 देवलौद जिला शहडोल (म0प्र0)	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मझगवौ शाखा नहर निर्माण हेतु ।
			270	0.082		
			271	0.037		
			272	0.027		
			275	0.163		
			276	0.002		
			332	0.012		
			333	0.110		
			334	0.058		
			368	0.032		
			369	0.026		
			370	0.012		
			371	0.012		
			372	0.038		
			373	0.071		
			374	0.030		
			375	0.010		
			385	0.047		
			386	0.088		
			387	0.017		
			388	0.052		
			389	0.037		
			390	0.077		
			392	0.091		
			394	0.012		
			कुल योग	1.154 हेक्टर		

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र.क्र.-451-प्रका.-भू-अर्जन-2020-21.-

चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)से(5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत कराई गई थी, वैश्विक महामारी कोविड-19 प्रभाव के कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा-25 के तहत दिनांक 20.09.2020 से 20.09.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूँ।

### अनुसूची

भूमि का वर्णन			लंगभग क्षेत्रफल		धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा है.		
1	2	3	4	5	6	7
सतना	कोटर	अधरवार	5	0.176	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग कर्मांक 3 देवलौद जिला शहडोल (मोप्रो)	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मझगवों शाखा नहर निर्माण हेतु ।
			11	0.296		
			12	0.075		
			13	0.139		
			14	0.172		
			15	0.076		
			26	0.020		
			92/1/क	0.136		
			92/3/क	0.016		
			92/3/ख	0.066		
			93	0.220		
			95	0.176		
			97	0.082		
			98	0.146		
			99	0.090		
			100/1	0.096		
			100/2	0.046		
			100/3	0.040		
			102	0.008		
			103	0.016		
			114	0.006		
			161	0.006		
			162	0.010		
			163	0.372		
			182	0.066		
			183	0.051		
			184	0.065		
			187/2	0.007		
			189	0.088		

		190	0.046		
		191	0.023		
		192/2	0.129		
		194	0.033		
		195	0.144		
		202	0.005		
		204	0.170		
		205	0.108		
		206/1/ख	0.075		
		226	0.167		
		228	0.097		
		230	0.075		
		231	0.212		
		232	0.144		
		233	0.043		
		234	0.037		
		239	0.052		
		240	0.297		
		241	0.164		
		248	0.026		
		249/2	0.120		
		250/1	0.216		
		251/1	0.160		
		251/2	0.007		
		225	0.079		
		कुल योग	5.392 हेक्टर		

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र.क्र.-453-प्रका.-भू-अर्जन-2020-21.-

चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)से(5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत कराई गई थी, वैश्विक महामारी कोविड-19 प्रभाव के कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा-25 के तहत दिनांक 06.09.2020 से 06.09.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूँ।

### अनुसूची

भूमि का वर्णन			लगभग क्षेत्रफल		धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा हे.		
1	2	3	4	5	6	7
सतना	रघुराज नगर	रामस्थान	629	0.192	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक 3 देवलौद जिला शहडोल (M0प्र0)	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मझगवों शाखा नहर निर्माण हेतु ।
			966/1/ग	0.233		
			967/1/ख /1	0.145		
			कुल योग	0.570 हेक्टर		

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र.क्र.-455-प्रका.-भू-अर्जन-2020-21.-

चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)से(5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत कराई गई थी, वैश्विक महामारी कोविड-19 प्रभाव के कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा-25 के तहत दिनांक 06.09.2020 से 06.09.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबन्ध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूँ।

### अनुसूची

भूमि का वर्णन			लगभग क्षेत्रफल		धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा हे.		
1	2	3	4	5	6	7
सतना	रघुराज नगर	उमरी	157/3/क /1/2	0.161	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक 3 देवलौद जिला शहडोल (म0प्र0)	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मझगवॉ शाखा नहर निर्माण हेतु ।
			कुल योग	0.161 हेक्टर		

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र.क्र.-457-प्रका.-भू-अर्जन-2020-21.-

चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1)से(5) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत कराई गई थी, वैश्विक महामारी कोविड-19 प्रभाव के कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा-25 के तहत दिनांक 06.09.2020 से 06.09.2021 तक के लिये बढ़ाई जाती है, सभी संबन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबन्ध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हूँ।

### अनुसूची

भूमि का वर्णन			लगभग क्षेत्रफल		धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा हे.		
1	2	3	4	5	6	7
रीवा	सेमरिया	कोलवार	32	0.020	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग क्रमांक 3 देवलौद जिला शहडोल (म0प्र0)	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मझगवॉ शाखा नहर निर्माण हेतु ।
			33	0.010		
			34	0.053		
			36	0.039		
			37	0.034		
			38	0.022		
			40	0.002		
			41	0.002		
			42	0.007		

		43	0.086
		68	0.086
		73	0.058
		84	0.018
		86	0.031
		87	0.035
		88	0.050
		89	0.008
		90	0.017
		96	0.018
		97	0.106
		148	0.021
		149	0.048
		150	0.104
		168	0.046
		169	0.062
		171	0.149
		173	0.101
		174	0.065
		179	0.013
		180	0.007
		181	0.167
		182	0.067
		184	0.058
		कुल योग	1.610 हेक्टर

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी.एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

## राज्य शासन के आदेश

### राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 7 अक्टूबर 2020

क्र. भू-अर्जन-10-(अ-82)-2020-21-198.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी द्वारा कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिए अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.

अतः भूमि अर्जन पूनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा "9" के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11) की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :—

#### अनुसूची

भूमि का विवरण		भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हे. में)		निर्माण कार्य एजेंसी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
जिला	तहसील/तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नम्बर	(6)	(7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	डुगरिया रैयत	374	0.160	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी.	खरमेर मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य हेतु.
	निजी भूमि	प.ह.नं. 129	155	0.600		
		रा. नि. मं.	154	0.600		
		बम्हनी	156	0.360		
			157	0.360		
			146	0.400		
			145	0.460		
			153	0.180		
			399	0.480		
			152	0.400		
			118/1	0.400		
			115	0.200		
			484	0.300		
			119	0.230		
			400/1	0.340		
			123/1	0.340		
			132/2	0.040		
			353/1	0.008		
			127/1	2.090		
			127/2	0.320		
			118/5	0.100		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			118/6	0.400		
			365/1	0.390		
			322/1	0.200		
			363/490	0.130		
			322/2	0.120		
			361/1	0.760		
			365/2	0.390		
			141/1	1.250		
			398	0.160		
			397	0.400		
		निजी भूमि का योग	-	<u>12.568</u>		
			134	0.500		
			161	0.480		
			162	0.480		
			130	3.690		
		शास. भूमि का योग	-	<u>5.150</u>		
		कुल योग	-	<u>17.718</u>		

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-11-(अ-82)-2020-21-199.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्र, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी द्वारा कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिए अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है।

अतः भूमि अर्जन पूनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा "9" के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11) की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-

#### अनुसूची

भूमि का विवरण					निर्माण कार्य एजेंसी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	अण्डई रैयत	63	0.430	कार्यपालन यंत्र,	खरमेर मध्यम सिंचाई
	निजी भूमि	प.ह.नं. 131	83	0.108	जल संसाधन संभाग	परियोजना शीर्ष कार्य हेतु,
		रा. नि. मं.	93/2	0.400	डिण्डौरी.	
		बम्हनी	95/1	0.400		
			95/2	0.400		
			159/1	0.330		
			159/2	0.270		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		निजी भूमि का योग	-	2.338		
		शास. भूमि	30	2.770		
		शास. भूमि का योग	-	2.770		
		कुल योग	-	5.108		

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-12-(अ-82)-2020-21-200.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से खाना (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी द्वारा कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिए अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा "9" के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11) की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :—

#### अनुसूची

भूमि का विवरण					निर्माण कार्य एजेंसी	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हे. में)	का नाम	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	उमरिया रैयत	70	0.830	कार्यपालन यंत्री,	खरमेर मध्यम सिंचाई
	निजी भूमि	प.ह.नं. 141	65	0.240	जल संसाधन संभाग	परियोजना शीर्ष कार्य हेतु.
		रा. नि. मं.	58/2	0.560	डिण्डौरी.	
		बम्हनी	552	1.130		
			47/2	0.600		
			101	0.510		
			154	0.240		
			183/1	0.110		
			188/1	0.210		
			183/3	0.110		
			183/4	0.100		
			112/1	0.600		
			116	0.100		
			109/2	0.190		
			369	0.200		
			371	0.370		
			374/1	0.590		
			374/2	0.350		
			536/1	0.150		
			536/2	0.150		



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			536/3	0.100		
			536/4	0.100		
			537	2.610		
			533	0.240		
			560	0.300		
			538	0.500		
			549/1	0.260		
			542/1	0.380		
			542/2	0.380		
			462	0.310		
			456/1	0.630		
			456/2/1	0.210		
			456/2/2	0.200		
			456/2/3	0.200		
			456/3	0.600		
			450	0.720		
			440/1	0.450		
			440/2	0.500		
			416/2	0.160		
			423/1	0.030		
			408/1	1.760		
			425/1	0.040		
			426/1/1	0.400		
			426/1/2	0.400		
			426/1/3	0.400		
		निजी भूमि का योग -		<u>19.220</u>		
			180	0.070		
			453	0.260		
			166	0.080		
			120	0.050		
			373	0.840		
			565	0.060		
			540	0.220		
			526	0.100		
			493	0.060		
			492	0.250		
			478	0.370		
			417	0.160		
			445	6.300		
			420	0.370		
		शासकीय भूमि का योग -		<u>9.190</u>		
		कुल योग		<u>28.410</u>		

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-13-(अ-82)-2020-21-201.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना (1) से खाना (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी द्वारा कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिए अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा "9" के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11) की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :—

### अनुसूची

भूमि का विवरण		भूमि का विवरण		निर्माण कार्य एजेंसी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	सालहेधोरी रैयत	68	0.250	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी.
	निजी भूमि	प.ह.नं. 130	13/1	0.600	
		रा. नि. मं.	45/1	0.220	
		बम्हनी	45/2	0.220	
			46/2	0.400	
			8/4	0.200	
			8/5	0.200	
			17/2	0.930	
			17/3	0.930	
			17/4	0.230	
			17/5	0.230	
			17/6	0.230	
			17/7	0.240	
		निजी भूमि का योग	-	4.880	
		शास. भूमि	1	3.140	
			3	0.420	
			32	0.400	
		शास. भूमि का योग	-	3.960	
		कुल भूमि का योग	-	8.840	

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-14-(अ-82)-2020-21-202.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से खाना (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी द्वारा कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिए अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा "9" के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11) की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :—

भूमि का विवरण					अनुसूची	
जिला	तहसील/तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)	निर्माण कार्य एजेंसी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	डिण्डौरी निजी भूमि	खाम्ही माल प.ह.नं. 132 रा. नि. मं. बम्हनी	4/1/1 4/1/2 95/2	0.400 0.400 0.180	कार्यपालन यंत्रि, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी.	खरमेर मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य हेतु.
कुल निजी भूमि का योग -				0.980		
शास. भूमि				22	1.360	
				4/2	0.460	
				508	0.270	
शास. भूमि का योग -				2.090		
कुल भूमि का योग -				3.070		

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-15-(अ-82)-2020-21-203.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना (1) से खाना (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्रि, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी द्वारा कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिए अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा "9" के तहत अत्यावश्यकता की दशा में "सामाजिक समाघात रिपोर्ट" से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11) की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-

भूमि का विवरण					अनुसूची	
जिला	तहसील/तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)	निर्माण कार्य एजेंसी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	डिण्डौरी निजी भूमि	साल्हेघोरी माल प.ह.नं. 130 रा. नि. मं. बम्हनी	97 124 120 112/2 123/2 107/2	0.060 0.200 0.270 0.090 0.070 0.200	कार्यपालन यंत्रि, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी.	खरमेर मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य हेतु.
निजी भूमि का योग -				0.890		
कुल योग				0.890		

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. कार्तिकेयन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 9 अक्टूबर 2020

पत्र क्र. 352-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ.

चूंकि, भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदले वर्तमान भू-अधिग्रहण अधिनियम 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण अधिनियम की धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
रीवा	नईगढ़ी	सुमेदा कला	0.303	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, रीवा.	मऊगंज कटरा मार्ग के कि. मी. 12/8 में ओड्डा नदी पर पुल एवं पहुंचमार्ग निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
इलैया राजा टी., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उमरिया, दिनांक 20 अक्टूबर 2020

क्र. 4054-A-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (11) एवं (12) की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा-11 की उपधारा (3) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
उमरिया	मानपुर	महरोई बेल्दी पड़वार सलैया कुड़ी	19.736 27.535 2.095 1.447 15.208	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उमरिया.	भदार व्यपवर्तन योजना.

(2) सर्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—भदार व्यपवर्तन योजना डूब क्षेत्र.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजीव श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 7 अगस्त 2020

क्र. एफ. 206-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—नागौद  
(ग) नगर/ग्राम—पिपरी  
(घ) क्षेत्रफल—3.200 हेक्टेयर

आराजी नं.	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
252/2/1/1	0.070
252/1/1	0.184
14/1/1	0.083
15/1	0.012
16/1	0.217
17/1/2	0.148
17/1/1	0.148
9/1/1	0.020
8/1/1	0.293
46/275/1/1	0.012
47/1	0.038
48/1/1	0.032
49/1/1	0.223
49/2/1	0.219
49/277/1	0.154
53/1	0.024
54/1/1	0.008
54/2/1	0.003
53/2/क/1	0.162
63/1	0.013
62/1	0.087
61/1/1	0.116
64/1	0.002
65/1/1	0.055

(1)	(2)
65/2	0.004
86/1/1	0.009
87/1/1	0.088
86/2/1	0.011
87/2/1	0.202
83/2	0.004
82/2	0.002
84/1	0.193
85/1	0.042
67/1/1	0.024
68/1/1	0.118
69/1/1/1	0.165
69/2	0.015
निजी खाता भूमि योग	<u>3.200</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—उप मुख्य अभियंता (निर्माण-II), पश्चिम मध्य रेलवे सतना द्वारा ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 कि. मी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

सतना, दिनांक 13 अगस्त 2020

क्र. एफ. 223-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—नागौद  
(ग) नगर/ग्राम—बारापत्थर  
(घ) क्षेत्रफल—0.865 हेक्टेयर

आराजी नं.	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
143	0.018
8/2/2	0.006
8/1/1	0.043
17/1/1/1	0.134

(1)	(2)	(1)	(2)
8/2/1/1	0.043	261/1क/2	0.024
17/1/2/1	0.134	261/1क/3/1	0.004
18/2/1	0.164	261/1क/3/2	0.005
18/3/1/1	0.153	261/1क/3/3	0.005
18/1/1	0.102	261/1क/3/4	0.005
19/3/1	0.023	261/1क/3/5	0.005
19/3/2	0.025	261/1क/4	0.024
19/3/3/1	0.020	261/1क/1	0.110
निजी खाता भूमि योग	0.865	260/1क/1	0.008
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—उप मुख्य अभियंता (निर्माण-II), पश्चिम मध्य रेलवे सतना द्वारा ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 कि. मी.) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु.		261/1ख/1	0.130
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.		123/1	0.016
		258/1	0.126
		256/1/1	0.060
		254/2/1	0.030
		253	0.018
		165/1	0.065
		166/1	0.055
		167	0.010
		168	0.015
		169/1	0.016
		186/1	0.008
		187/2/1	0.002
		187/2/2	0.002
		187/1	0.004
		184/क/1	0.077
		184/ख/1	0.077
		185/क/1	0.004
		172/1/1	0.035
		172/2/1	0.091
		173/2/1	0.070
		173/3/क	0.010
		171/1/ख	0.030
		171/2/ख/4/1क/1/1	0.004
		171/2/ख/4/1क/2	0.004
		171/2/ख/4/1क/3	0.004
		171/2/ख/4/1क/4	0.004
		261/1ग/1	0.130
		171/2/ख/4/1क/1/5	0.004
		171/2/ख/4/1/2	0.004
		171/2/ख/4/1/3	0.004
		171/2/ख/4/3/1/4	0.004
		171/2/ख/4/4/1/3	0.004
		171/2/ख/4/4/1/4	0.004
		171/2/ख/4/4/1/5	0.004
		171/2/ख/4/5/1/3	0.004
		171/2/ख/4/5/1/4	0.004
		171/2/ख/4/5/1/2	0.005
		187/3/1/2	0.002

सतना, दिनांक 19 अगस्त 2020

क्र. 226-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—नागौद

(ग) नगर/ग्राम—डाम्हा

(घ) क्षेत्रफल—1.891 हेक्टेयर

आराजी नं.

प्रभावित रकबा  
(हेक्टर में)

(1)

(2)

402/2/1

0.040

402/2/2/2

0.100

402/3/1

0.040

88/3/1

0.014

88/1/1

0.093

263/1

0.014

262/1

0.020

102/1

0.014

103/1

0.005

261/2/3/1

0.125

(1)	(2)	(1)	(2)
187/3/1/3	0.002	246/2/8	0.010
187/3/1/4	0.002	246/2/7	0.006
187/3/1/5	0.002	246/2/9	0.002
187/3/2/1	0.002	245/1/1	0.141
187/3/2/2	0.002	229/1/1	0.061
187/3/2/3	0.002	244/1/1/1	0.041
187/3/2/4	0.002	244/1/1/2	0.016
187/3/2/5	0.002	244/1/1/3	0.016
391/1	0.008	244/1/1/4	0.016
394/2क/1/2	0.006	244/1/1/5	0.017
394/2क/1/3	0.006	244/1/1/6	0.044
394/2क/1/4	0.006	241/1/1/1/2	0.016
394/2क/1/5	0.005	241/1/1/1/4	0.006
394/2क/1/6	0.006	241/1/1/1/5	0.009
394/2क/1/7	0.005	241/1/1/1/6	0.009
394/2क/1/8	0.005	241/1/1/1/7	0.015
394/2क/1/9	0.005	241/1/1/1/10	0.009
394/2क/1/10	0.005	241/1/1/1/11	0.009
394/2क/1/11	0.005	241/1/1/1/12	0.009
394/2क/1/12	0.006	241/1/1/1/13	0.005
394/2क/1/13	0.006	241/1/1/1/14	0.009
394/2क/1/14	0.006	241/1/1/1/15	0.009

निजी खाता भूमि योग . . . 1.891

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—उप मुख्य अभियंता (निर्माण-II), पश्चिम मध्य रेलवे सतना द्वारा ललितपुर-सतना, रोवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 कि. मी.) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 227-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—नागौद  
(ग) नगर/ग्राम—नामतारा  
(घ) क्षेत्रफल—0.612 हेक्टेयर

आराजी नं.	प्रभावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
241/1/1/1क	0.045

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—उप मुख्य अभियंता (निर्माण-II), पश्चिम मध्य रेलवे सतना द्वारा ललितपुर-सतना, रोवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 कि. मी.) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अजय कटेशरिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

निजी खाता भूमि योग . . . 0.612

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी,  
खण्डवा, जिला-खण्डवा, मध्यप्रदेश

पत्र क्र.-2833-रीडर-1-2020.

खण्डवा, दिनांक 21 अक्टूबर 2020

## प्ररूप- "ख"

## { नियम- 5 का उपनियम (2) }

क्रमांक- 0798/बी-121/2020-21 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 01 ग्राम- सुडवाडिया, प.ह.न 44, तहसील- हरसूद, जिला- खण्डवा से टेल (ग्राम- सिवना, प.ह.न 66, तहसील एवं जिला- खण्डवा) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- माथनी, प.ह.न 62, तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

## :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम- माथनी, प.ह.न 62	189	0.035
			190	0.084
			186	0.036
			185	0.030
			196/1	0.020



जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम- माथनी, प.ह.न 62	198	0.051
			271/1	0.023
			282/2	0.016
			271/2	0.026
			271/3	0.023
			271/4	0.022
			282/1	0.029
			271/5	0.015
			272	0.083
			280	0.010
			273	0.009
			279	0.070
			264/1	0.164
			248/1	0.071
कुल योग			19	0.817

पत्र क्र.-2832-रीडर-1-2020.

## प्ररूप- "ख"

## { नियम- 5 का उपनियम (2) }

क्रमांक- 0797/बी-121/2020-21 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 01 ग्राम- सुडवाडिया, प.ह.न 44, तहसील- हरसूद, जिला- खण्डवा से टेल (ग्राम- सिवना, प.ह.न 66, तहसील एवं जिला- खण्डवा) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- बलदुआ डोंगरी, प.ह.न 62, तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

## :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम- बलदुआ डोंगरी, प.ह.न 62	39/1	0.013
			38	0.035
			34/1	0.171
			79/2	0.008
			79/3	0.022

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम- बलदुआ डोंगरी, प.ह.न 62	79/4	0.031
			79/5	0.012
			83/1	0.031
			83/2	0.025
			83/3	0.034
			84	0.043
			99	0.043
			100	0.044
			101	0.029
			106	0.013
			110/2	0.032
			112/1	0.025
			108/1	0.034
			112/4	0.009
			112/2	0.028
			140	0.046
			132	0.061
			131	0.010
कुल योग			<b>23</b>	<b>0.799</b>

पत्र क्र.-2834-रीडर-1-2020.

**क्रमांक- 0796/बी-121/2020-21** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 01 ग्राम- सुडवाडिया, प.ह.न 44, तहसील- हरसूद, जिला- खण्डवा से टेल (ग्राम- सिवना, प.ह.न 66, तहसील एवं जिला- खण्डवा) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु **ग्राम- बेनपुरा कुरवाड़ा, प.ह.न 63, तहसील एवं जिला- खण्डवा** मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम- बेनपुरा कुरवाड़ा, प.ह.न 63,	104	0.022
			105	0.034
			106	0.031
			107	0.015
			113	0.173

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम- बेनपुरा कुरवाड़ा, प.ह.न 63,	144	0.064
			145	0.052
			149	0.056
			150/2	0.029
			150/1	0.025
			152	0.027
			154/4	0.020
			154/3	0.012
			154/1	0.016
			154/2/1	0.008
			154/2/2	0.008
			154/2/3	0.008
			154/2/4	0.008
कुल योग			18	0.608

पत्र क्र.-2835-रीडर-1-2020.

**क्रमांक- 0793/बी-121/2020-21** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 01 ग्राम- सुडवाडिया, प.ह.न 44, तहसील- हरसूद, जिला- खण्डवा से टेल (ग्राम- सिवना, प.ह.न 66, तहसील एवं जिला- खण्डवा) तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु **ग्राम- सुरगांव बंजारी, प.ह.न 61, तहसील एवं जिला- खण्डवा** मध्यप्रदेश राज्य में **कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र.)** द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला-खण्डवा** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम- सुरगांव बंजारी, प.ह.न 61	503	0.020
			511	0.014
			510/5	0.031
			509	0.039
			686/3	0.088

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम- सुरगांव बंजारी, प.ह.न 61	686/2	0.006
			677/4	0.030
			677/3	0.025
			677/2	0.025
			677/1	0.010
			679	0.024
			678	0.145
			713	0.028
			712	0.033
			711/2	0.040
			717/1	0.068
			718	0.059
			742	0.058
			737/2	0.032
			736/4	0.031
			736/3	0.042
			736/1	0.006
			729/2	0.067
			728	0.039
			729/1	0.037
			730/1	0.029
			614/4	0.040
			730/2	0.045
614/2	0.030			
614/3/1	0.016			
606/3	0.030			
606/1	0.067			
<b>कुल योग</b>			<b>32</b>	<b>1.254</b>

पत्र क्र.-2836-रीडर-1-2020.

**क्रमांक- 0789/बी-121/2020-21** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से ग्राम- कोटवाड़ा, प.ह.न 59, तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (C) में जल परिवहन हेतु **ग्राम- बड़िया तुला, प.ह.न 69, तहसील एवं जिला- खण्डवा** मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला-खण्डवा** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम- बड़िया तुला, प.ह.न 69	63	0.086
			77	0.054
			78	0.024
			79/3	0.010
			79/4	0.060



जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम- बड़िया तुला, प.ह.न 69	80	0.070
			85	0.011
			84	0.058
			195	0.015
			186	0.056
			185	0.005
			184	0.026
			183	0.004
			182	0.005
			181	0.007
			180	0.005
			179	0.006
			178	0.004
			177	0.023
			176/2	0.018
			175	0.023
			173	0.011
			171	0.009
			168	0.006
			169	0.011
			166	0.034
			164/1	0.058
			162	0.019
			160/1	0.011
			160/2	0.011
			160/3	0.011
157	0.056			
कुल योग			32	0.807

पत्र क्र.-2838-रीडर-1-2020.

**क्रमांक- 0804/बी-121/2020-21** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से ग्राम- कौटवाड़ा, प.ह.न 59, तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (C) में जल परिवहन हेतु **ग्राम- पलकना, प.ह.न 58, तहसील एवं जिला- खण्डवा** मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम- पलकना, प.ह.न 58	97	0.007
			108	0.050
			109	0.031
			110	0.020
			116	0.054

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम— पलकना, प.ह.न 58	117/2	0.020
			128/3	0.016
			128/2	0.022
			128/1	0.017
			117/1	0.011
			127/2	0.008
			124/1	0.015
			124/2	0.004
			124/3	0.020
			123/2	0.017
			123/1	0.019
			122/2	0.026
			121/3	0.023
			121/1	0.041
			120/1	0.071
			162/1	0.079
			174	0.040
			175/1	0.039
			180	0.065
			190/2	0.040
			190/3	0.045
			191/1	0.034
			53	0.006
			51	0.020
			52	0.002
			50	0.036
			195/1	0.005
			195/3/3	0.025
			195/2/2	0.025
			195/2/1	0.025
196/1	0.032			
249	0.080			
201	0.074			
209	0.047			

खण्डवा	खण्डवा	ग्राम— पलकना, प.ह.न 58	211/3	0.003
			212/2	0.037
			212/1	0.033
			219	0.024
			220	0.025
			225/2	0.023
			226	0.038
			227/2	0.041
कुल योग			47	1.435

पत्र क्र.-2837-रीडर-1-2020.

**क्रमांक- 0790/बी-121/2020-21** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से ग्राम- कोटवाड़ा, प.ह.न 59, तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (C) में जल परिवहन हेतु **ग्राम- मुन्दवाड़ा, प.ह.न 69, तहसील एवं जिला- खण्डवा** मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला-खण्डवा** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा		ग्राम- मुन्दवाड़ा, प.ह.न 69	52/2	0.021
			55/2	0.087
			87	0.012
			88	
			78	0.045
80/1	0.003			

अधिकारी  
खण्डवा (म.प्र.)

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम— मुन्दवाड़ा, प.ह.न 69	80/2	0.043
			81	0.030
			83	0.003
			82	0.065
			69/2	0.027
			68	0.030
			128	0.013
			129/1	0.023
			129/2	0.058
			147	0.084
			145/1	0.073
			141	0.083
			142	0.102
			145/2	0.043
			145/3	0.043
			145/4	0.002
			144	0.088
			175	0.017
			176/2	0.035
			176/3	0.007
			146/1	0.020
			146/2	0.115
			146/3	0.083
			166/1	0.095
			166/2	0.087
			166/3	0.116
186	0.387			
264	0.160			
266	0.185			
कुल योग			34	2.285

पत्र क्र.-2839-रीडर-1-2020.

**क्रमांक- 0807/बी-121/2020-21** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से ग्राम- जामली मुन्दी, प.ह.न 49, तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (A) में जल परिवहन हेतु **ग्राम- फतेहपुर मुन्दी, प.ह.न 49, तहसील एवं जिला- खण्डवा** मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम- फतेहपुर मुन्दी, प.ह.न 49	319	0.146
			318/1	0.035
			228	0.025
			316/1	0.040
			315/1	0.021

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम— फतेहपुर मुन्दी, प.ह.न 49	314/1	0.090
			313/1	0.013
			312/4	0.014
			312/3	0.012
			312/1	0.024
			311/5	0.025
			311/4	0.015
			311/1	0.028
			310/4	0.019
			310/1	0.010
			297	0.037
			298/1	0.014
			298/4	0.022
			299	0.035
			298/2	0.029
303/1	0.064			
कुल योग			21	0.718

पत्र क्र.-2840-रीडर-1-2020.

**दिनांक 23 दिसंबर, 2019**

प्रश्न संख्या एवं क्रमांक	प्रश्नकर्ता का नाम	प्रश्नांश जिसका उत्तर अपेक्षित है
अता.प्र.सं.42 (क्र. 405)	डॉ. मोहन यादव	भाग (क) एवं (ख , ग) की जानकारी
अता.प्र.सं.100 (क्र. 1301)	श्री भूपेन्द्र सिंह	पूर्ण जानकारी
अता.प्र.सं.121 (क्र. 1544)	श्री मनोहर ऊंटवाल	पूर्ण जानकारी
अता.प्र.सं.162 (क्र. 1937)	श्री प्रताप गेवाल	भाग [ख] एवं [घ] की जानकारी
अता.प्र.सं.228 (क्र. 2078)	श्री अरविंद सिंह भदौरिया	पूर्ण जानकारी



जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम- जामली मुन्दी, प.ह.न 49	288/1	0.063
			294/5	0.039
			294/4	0.062
			294/6	0.086
			294/3	0.068
			289/1	0.060
			293/2	0.045
			289/4	0.019
			293/3	0.051
			289/5	0.019
			293/4	0.041
			294/2	0.011
			295/18	0.021
			290	0.024
			285	0.054
			281/3	0.016
			287/5	0.059
			286	0.052
245	0.127			
10/2	0.038			
कुल योग			25	1.105

पत्र क्र.-2841-रीडर-1-2020.

**क्रमांक- 0791/बी-121/2020-21** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से ग्राम- गोकुलगांव, प.ह.न 71, तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (B) में **जल परिवहन हेतु ग्राम- गोकुलगांव, प.ह.न 71, तहसील एवं जिला- खण्डवा** मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला-खण्डवा** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम- गोकुलगांव, प.ह.न 71	7/1	0.005
			23	0.032
			24/1	0.042
			25/1	0.020
			25/2	0.018
			26	0.013
कुल योग			6	0.130

पत्र क्र.-2842-रीडर-1-2020.

**क्रमांक- 0803/बी-121/2020-21** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से ग्राम- गोकुलगांव, प.ह.न 71, तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (B) में जल परिवहन हेतु **ग्राम- ढोंढवाड़ा, प.ह.न 54, तहसील एवं जिला- खण्डवा** मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला-खण्डवा** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम- ढोंढवाड़ा, प.ह.न 54	548	0.077
			554	0.072
			553/1	0.017
			580/3	0.007
			553/3	0.019

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम- ढोंढवाड़ा, प.ह.न 54	580/5	0.008
			553/4	0.019
			580/4	0.007
			553/5	0.037
			580/2	0.010
			553/2	0.015
			578	0.019
			584/1/1	0.024
			579	0.018
			580/1	0.012
			597/1	0.016
			597/2 597/3	0.015
			592	0.023
			594	0.015
			593	0.035
			603/1	0.028
			605/3	0.024
			604/1	0.009
604/2	0.012			
604/3	0.013			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम— ढोंढवाड़ा, प.ह.न 54	605/4	0.026
			605/1	0.028
			610/1	0.042
			609/1	0.008
			610/2	0.028
			611	0.018
			612/2	0.008
			612/1/1	0.006
			612/1/2	0.011
			614	0.008
			615	0.009
			655/2	0.010
			663	0.048
			711/1	0.047
			658	0.016
			662	0.084
711/2	0.034			
कुल योग			42	0.982

पत्र क्र.-2843-रीडर-1-2020.

क्रमांक- 0792/बी-121/2020-21 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से ग्राम- गोकुलगांव, प.ह.न 71, तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (B) में जल परिवहन हेतु ग्राम- बमनगांव भीला, प.ह.न 56, तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यालयन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्गदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हत्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम- बमनगांव भीला, प.ह.न 56	335/2	0.019
			335/3	
			334	0.052
			352/1	0.022
			357	0.010

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम— बमनगांव भीला, प.ह.न 56	356/1	0.018
			355/3	0.026
			555/3	0.005
			355/2	0.016
			353	0.018
			352/2	0.053
			351	0.059
			348/2	0.018
			350/1	0.065
			349	0.035
			259/1	0.051
			258/2	0.076
			254	0.012
			219/1	0.011
			213/2	0.026
			219/2	0.029
			220/2	0.006
			220/1	0.095
			222/1	0.073
			239	0.028
			238/2	0.012
			237	0.077
			234/2	0.012
			235	0.046
			213/1	0.009
			214/1	0.010
			214/2	0.052
			208/1	0.040
			208/2	0.043
			208/3	0.044
			174/2	0.030
			176	0.066
			26	0.010
30	0.066			
660/2	0.030			
659/2	0.086			
659/1	0.037			
657	0.043			
664	0.048			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम— बमनगांव भीला, प.ह.न 56	651	0.022
			650	0.030
			668/3	0.038
			332	0.016
			331/2	0.050
			551	0.026
			557	0.088
			555/2	0.024
			555/1	0.032
			554	0.016
			538	0.082
			524	0.080
			518	0.036
			503/4	0.024
			506	0.072
			500/1	0.022
			500/2	0.022
			499/1	0.017
			499/2	0.021
			501/4	0.060
			501/3	0.056
			448/1	0.026
			447/1	0.050
			435	0.008
			436	0.024
			437	0.064
			442	0.074
21/3	0.013			
21/2	0.005			
21/4	0.005			
कुल योग			73	2.687



पत्र क्र.—2844—रीडर—1—2020.

**क्रमांक— 0800/बी—121/2020—21** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत इंदिरासागर रिजरवायर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक—01 ग्राम— सुडवाडिया, प.ह.न 44, तहसील— हरसूद, जिला— खण्डवा से ग्राम— जावर, प.ह.न 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक— 02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु **ग्राम— धनगांव, प.ह.न— 59, तहसील एवं जिला— खण्डवा** मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक—25, नर्मदानगर, जिला— खण्डवा (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक— 5 सन् 2013) की धारा— 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा— 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला—खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम— धनगांव, प.ह.न— 59	329	0.241
			332/2	0.058
			333	0.041
			334	0.064
			269	0.006

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम- धनगांव, प.ह.न- 59	272	0.054
			273	0.005
			274	0.004
			275	0.011
			283	0.038
			284	0.036
			285/2	0.029
			285/1	0.027
			279	0.021
			278	0.051
			287	0.034
			159	0.085
			91/2	0.041
			91/3	0.041
			103/1	0.060
			103/2/1	0.049
			103/2/2	0.013
			102/1	0.042
			102/2	0.049
			102/3/1	0.025
102/3/3	0.025			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम- धनगांव, प.ह.न- 59	82	0.027
			81	0.037
			70	0.044
			69	0.050
			94/1	0.034
			94/2	0.018
			93	0.018
			90	0.034
			45	0.063
			44	0.079
			43/1	0.006
			40/1	0.033
			40/2	0.033
			40/3	0.033
			430/1	0.040
			430/2	0.040
			431	0.036
			432	0.158
कुल योग			44	1.933

पत्र क्र.-2845-रीडर-1-2020.

**क्रमांक- 0794/बी-121/2020-21** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत इंदिरासागर रिजरवायर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-01 ग्राम- सुडवाडिया, प.ह.न 44, तहसील- हरसूद, जिला- खण्डवा से ग्राम- जावर, प.ह.न 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु **ग्राम- सुरगांव बंजारी, प.ह.न 61, तहसील एवं जिला- खण्डवा** मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला-खण्डवा** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम- सुरगांव बंजारी, प.ह.न 61	112/4	0.040
			117/2	0.024
			117/3	0.032
			117/6	0.017
			117/4	0.043

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम- सुरगांव बंजारी, प.ह.न 61	117/5	0.082
			120	0.086
			125	0.072
			127/1	0.026
			127/2	0.022
			127/3	0.025
			148	0.030
			152	0.056
			156	0.024
			488/1	0.015
			498	0.002
			499	0.082
			502	0.059
			503	0.044
			511	0.134
			515	0.022
			516	0.070
			519	0.157
			520/1	0.009
			528/2	0.026
538/1	0.039			
कुल योग			26	1.238

पत्र क्र.-2846-रीडर-1-2020.

**क्रमांक- 0805/बी-121/2020-21** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत इंदिरासागर रिजरवायर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-01 ग्राम- सुडवाडिया, प.ह.न 44, तहसील- हरसूद, जिला- खण्डवा से ग्राम- जावर, प.ह.न 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक-1 एवं पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से ग्राम- जामली मुन्दी, प.ह.न 49, तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (A) में जल परिवहन हेतु **ग्राम- गोहलारी, प.ह.न 59, तहसील एवं जिला- खण्डवा** मध्यप्रदेश राज्य में **कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र.)** द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में **अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला-खण्डवा** मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम- गोहलारी, प.ह.न 59,	13/2	0.014
			29	0.064
			30	0.040
			33/2	0.022
			32/2	0.056

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम— गोहलारी, प.ह.न 59,	28/2	0.040
			27	0.036
			33/1	0.010
			34/1	0.024
			35/2	0.032
			35/4	0.085
			7	0.030
			10/1	0.023
			5	0.062
			4/1	0.040
			3/3	0.010
			3/2	0.035
			17	0.012
कुल योग			18	0.635

पत्र क्र.-2847-रीडर-1-2020.

**क्रमांक- 0795/बी-121/2020-21** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से ग्राम- गोकुलगांव, प.ह.न 71, तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (B) से निकलने वाली ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 05 में जल परिवहन हेतु ग्राम- ढोरानी, प.ह.नं. 50, तहसील एवं जिला- **खण्डवा** मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर, जिला- **खण्डवा (म.प्र.)** द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम- ढोरानी, प.ह.न 50	620	0.010
			619/1	0.075
			614/4	0.076
			614/2	0.070
			614/3	0.076



जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम- ढोरानी, प.ह.न 50	438	0.041
			439	0.051
			440/3	0.018
			429/1	0.025
			363/1	0.028
			363/2/1	0.070
			374/2	0.027
			374/3	0.045
			374/5	0.043
			372	0.044
			334	0.009
			382	0.030
			323	0.036
			322	0.011
			324	0.026
			325/2	0.014
			326	0.037
			320	0.021
			302/1	0.055
			302/2	0.028
303/3	0.032			
301	0.060			
कुल योग			27	1.058

पत्र क्र.-2848-रीडर-1-2020.

**क्रमांक- 0806/बी-121/2020-21** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से ग्राम- गोकुलगांव, प.ह.न 71, तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (B) से निकलने वाली ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 41, 64 एवं 70 में जल परिवहन हेतु ग्राम- खेड़ीकित्ता, प.ह.न 52, तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम- खेड़ीकित्ता, प.ह.न 52,	451	0.029
			452	0.016
			450	0.084
			448	0.056
			446	0.024

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम— खेड़ीकित्ता, प.ह.न 52,	444	0.012
			445	0.022
			411/1	0.043
			404	0.018
			201	0.047
			200/3	0.064
			199/5	0.088
			199/4	0.086
			199/7	0.010
			199/6	0.018
			199/3	0.012
			193/1	0.039
			193/2	0.030
			193/3	0.014
			185/1	0.008
			183/2	0.060
			155/2	0.056
			154/2	0.074
			151	0.015
			158/1/1/1	0.041
			158/2	0.025
			131/2	0.045
			132	0.011
133	0.047			
135	0.012			
136/3	0.031			
136/2	0.019			
136/1/1	0.011			
121/1	0.061			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम— खेड़ीकित्ता, प.ह.न 52,	256/1/1	0.017
			255/3	0.012
			255/2	0.020
			255/1	0.021
			254	0.050
			248/1	0.055
			248/2/2	0.051
			237	0.044
			64/1	0.091
			64/2	0.031
			63/1	0.050
			71/1	0.081
			57/1/1	0.028
			55/1/1	0.084
			50	0.028
कुल योग			49	1.891

पत्र क्र.-2849-रीडर-1-2020.

क्रमांक- 0801/बी-121/2020-21 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से ग्राम- गोकुलगांव, प.ह.न 71, तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (B) से निकलने वाली ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-05, 41 व 58 में जल परिवहन हेतु ग्राम- पिपल्याफुल, प.ह.न 51, तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम- पिपल्याफुल, प.ह.न 51	108	0.032
			109	0.043
			103	0.007
			101	0.041
			100	0.007

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम— पिपल्याफुल, प.ह.न 51	114/1	0.020
			114/2	0.025
			114/3	0.035
			98/3	0.022
			115	0.009
			97	0.076
			96	0.020
			95	0.015
			69/3	0.008
			69/4	0.040
			79	0.027
			78	0.052
			77	0.004
			71/1	0.035
			76/2	0.030
			75/2	0.038
			75/1	0.049
			651/1	0.033
			651/4	0.056
			651/2	0.006
			647	0.028
			646	0.019
			644	0.015
			589/2	0.023
630	0.072			
632	0.075			
627	0.044			
604/3	0.045			
604/2	0.040			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम— पिपल्याफुल, प.ह.न 51	586	0.035
			587	0.036
			585	0.018
			588/2	0.027
			588/1	0.026
			577/3	0.031
			590/3	0.059
			590/4	0.017
			550	0.049
			549	0.056
			548	0.045
			540	0.020
			538	0.012
			539/1	0.009
			529/4	0.022
			536/1	0.004
			533	0.041
			381/1	0.013
			381/2	0.008
			382	0.005
			380	0.023
379	0.023			
583/3	0.053			
583/5	0.058			
584	0.037			
कुल योग			59	1.818

पत्र क्र.-2851-रीडर-1-2020.

**क्रमांक- 0802/बी-121/2020-21** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से ग्राम- कोटवाड़ा, प.ह.न 59, तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (C) की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-16 में जल परिवहन हेतु **ग्राम- पिपलकोटा, प.ह.न 47, तहसील एवं जिला- खण्डवा** मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम- पिपलकोटा, प.ह.न 47	362/1	0.018
कुल योग			01	0.018



पत्र क्र.-2850-रीडर-1-2020.

**क्रमांक- 0808/बी-121/2020-21** अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से ग्राम- जामली मुन्दी, प.ह.न 49, तहसील एवं जिला- खण्डवा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (A) की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-10 में जल परिवहन हेतु ग्राम- सहेजला, प.ह.न 46, तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन गंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

### :: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम- सहेजला, प.ह.न 46	127/1	0.010
			128/1	0.015
			128/2	0.019
			128/3	0.019
			129/1	0.020

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
खण्डवा	खण्डवा	ग्राम— सहेजला, प.ह.न 46	129/2	0.015
			129/3	0.012
			129/4	0.013
			124	0.042
			123/1	0.012
			123/2	0.041
			122/2	0.022
			201/4	0.039
			201/3	0.039
			201/2	0.100
			200	0.023
			199/1	0.089
			198/1	0.025
			666/2	0.025
कुल योग			19	0.580